न्यायालय उपजिलाधिकारी सहारनपुर।

वाद सं० 28/05-06 धारा 143 ज०वि० अधिनियम।

लार्ड कृष्णा इन्स्टीट्यूट फॉर एजूकेशन अताउल्लापुर बनाम सरकार।

मौ० अताउल्लापुर परगना हरौड़ा तहसील व जिला सहारनपुर।

नकल <u>आदेश</u> दि० 29-5-2006

लार्ड कृष्णा इन्स्टीट्यूट फॉर एजूकेशन अताउल्लापुर परगना हरौड़ा तहसील व जिला सहारनपुर उ०प्र० द्वारा अध्यक्ष श्रीमति राकेश कुमारी पत्नी श्री रामवीर सिंह, सचिव विवेक कुमार सिंह पुत्र श्री रामवीर सिंह निवासी ग्राम जनवासी पोस्ट के०जी०डब्ल्यू० सासनी जिला हाथरस उ०प्र० द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 ज०वि० अधिनियम प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार सदर से जांच आख्या मंगाई गई। तहसीलदार सदर की जांच आख्या प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार सदर ने अपनी जांच आख्या में बताया कि ग्राम अताउल्लापुर खाता संख्या 51 रकबा 2.147 है० पर लार्ड कृष्णा इन्स्टीटयूट फॉर एजूकेशन अताउल्लापुर, भगवानपुर मार्ग सहारनपुर द्वारा अध्यक्ष श्रीमति राकेश कुमारी पलि श्री रामवीर सिंह व सचिव विवेक कुमार सिंह पुत्र श्री रामवीर सिंह निवासी ग्राम जनवासी पोस्ट के०जी०डब्ल्यू० सासनी जिला हाथरस संस्था उक्त द्वारिकाधीश सोसायटी फॉर सोशल वैलफेयर एण्ड एजूकेशनल रिसर्च एण्ड डवलपमेंट के०जी०-90 न्यू कवी नगर गाजियाबाद उ०प्र० द्वारा संचालित है, का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। विवादित नम्बरान में मौके पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि वर्तमान में मात्र संस्थान के लिए ही प्रयोग में लायी जायेगी, जिसमें छात्रावास एवं खेल के मैदान का निर्माण भी प्रस्तावित है। अन्त भूराजस्व समाप्त कर, भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सदर की आख्या से विदित है, विवादित नम्बरान में मौके पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि वर्तमान में मात्र संस्थान के लिए ही प्रयोग में लायी जायेगी, जिसमें छात्रावास एवं खेल के मैदान का निर्माण भी प्रस्तावित है तथा विवादित नम्बरान में कृषि, बागवानी या पशुपालन जिसमें मत्स्य पालन और कुक्कड़ पालन भी शामिल हैं, नहीं हो रहा है। अतः तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 15.05.06 स्वीकार की जाती है। ग्राम अताउल्लापुर के खाता सं० 51 ख०नं० 85/0.552, 86/0.574, 87/0.116, 88/0.117, 89/0.307, 90/0.054, 91/0.069, 92/0.358 है० कुल 8 किते रकबई 2.147 है० लार्ड कृष्णा इंस्टीटयूट फॉर एजूकेशन अताउल्लापुर, भगवानपुर मार्ग सहारनपुर द्वारा अध्यक्ष श्रीमति राकेश कुमारी पलि श्री रामवीर सिंह व सचिव विवेक कुमार सिंह पुत्र श्री रामवीर सिंह निवासीगण ग्राम जनवासी पोस्ट के०जी०डब्ल्यू० सासनी जिला हाथरस उ०प्र० से लगान 85.80 पैसे समाप्त करते हुए भूमि अकृषिक घोषित की जाती है। तदानुसार परवाना अमलदरामद जारी होवे। पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक : 29.05.2006

(दिनेश चन्द्र) 29/5/06
उपजिलाधिकारी,
सहारनपुर

258
29/5/06
29/5/06
29/5/06
13=००
200
R.A.
29/5/06